पत्रांकः— खा०प्र० 01/ज०वि०प्र०/रा०क० 13—1/2016— 3914

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

/राँची, दिनांक— 30/09/2016

विषय :— **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को सफेद राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 1480, दिनांक 18.04.2016 एवं संकल्प संख्या 3847, दिनांक 27.09.2016 के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों को सफेद राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में लाभुक परिवारों का चयन स्व घोषणा पत्र—सह— पारिवारिक विवरणी के आधार पर की जायेगी।

इस क्रम में लाभुक परिवारों के चयन हेतु सर्वप्रथम इच्छित परिवारों से विहित प्रपत्र (स्व घोषणा पत्र—सह— पारिवारिक विवरणी) में आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना है। उक्त हेतु स्वःघोषणा पत्र—सह—पारिवारिक विवरणी निकटतम पंचायत कार्यालय/प्रखण्ड कार्यालय/जिला निकाय/जिला मुख्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जाना एवं जमा कराना सुनिश्चित की जाय। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड अथवा अंचल कार्यालय से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तत्पश्चात प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराया जाना है। इसके बाद सत्यापित आवेदनों का अंकीकरण का कार्य किया जायेगा। इस प्रकार अंकीकरण के पश्चात् तैयार Database के आलोक में राशन कार्ड मुद्रित करते हुए लाभुकों के बीच वितरित कराया जाना है। उक्त राशन कार्ड के निर्माण हेतु अंकीकरण, आधार सिडींग एवं मुद्रण के लिए राशि विभागीय संकल्प संख्या 1480, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में अलग से आवंटित की जायेगी।

इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित परिवारों का चयन करते हुए सफेद राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित समय सारणी इस प्रकार हैः—

क्र०	**किये जाने वाले कार्य**	**समय सीमा**
1	आवेदन पत्र जमा करने की अवधि	01.10.2016 से 31.10.2016
2	सत्यापन कार्य	01.11.2016 से 30.11.2016
3	अंकीकरण एवं आधार सीडिंग	01.12.2016 से 15.12.2016
4	राशन कार्ड मुद्रण एवं वितरण	16.12.2016 से 31.12.2016

उक्त परिपेक्ष्य में स्वःघोषणा पत्र—सह—पारिवारिक विवरणी का प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर लाभुक परिवारों का चयन करते हुए राशन कार्ड मुद्रित एवं वितरित की जाय। साथ ही लाभुक परिवारों के चयन हेतु व्यापक प्रचार—प्रसार भी किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः— यथोक्त।

29/9/16

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

D:\Vikash Kumar-2016-17\Kunj jee\Kunj letter.doc80

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हुए परिवारों का स्वघोषणा–पत्र–सह–व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरणी :–

स्व घोषणा–पत्र
(सफेद राशन कार्ड हेतु)

मैं ....

पिता/पति–..

श्रेणी –सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,

आयु–.................. झारखण्ड पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि –

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ। ☐
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है एवं हमें अन्त्योदय (पीला कार्ड) अथवा पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (गुलाबी कार्ड) का राशन कार्ड नहीं है। ☐

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गतल/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता/अनुदान का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान : .... हस्ताक्षर : ....

दिनांक : .... नाम : ....

नोटः– परिवार की व्यस्क महिला सदस्या, परिवार की मुखिया होंगी। परिवार में व्यस्क महिला न होने की स्थिति में पुरूष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

(संलग्न – पार पृष्ठ पर पारिवारिक सूची)

परिवारिक विवरणी

पता

ग्राम/मोहल्ला–..

वार्ड सं० (शहरी क्षेत्र के लिए)–.......................... मतदान केन्द्र संख्या –..........................

पंचायत–.. प्रखण्ड–..

थाना–.. जिला–..

खातेदार का नाम : ....
(परिवार का मुखिया)

बैंक का नाम : ....

बैंक शाखा का नाम : ....

बैंक खाता संख्या:

आई.एफ.एस.सी. कोड :

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	महिला / पुरूष	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

सत्यापनकर्त्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

नोट :– परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या (आधार कार्ड का छायाप्रति) अथवा अंचल कार्यालय से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।